


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
01/24/23	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील वादी उपठेंद्रे वदल वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अज्ञापीगिण को जर्घ अस्थाई निषेधाज्ञा से तर्फेसला मूल वाद तक पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल की आराजी खाता सं. 292 किला-3 रकबा 2.3143 हेक्टेयर भूमि की रिकार्ड व मौके की अथास्थिति बनाये रखे एवं रदन, कचान व इस्तानान्तरण नही करें। निर्कथ सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) </p>	

